



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

कोनी पुलिस थाना के सामने, बिलासपुर-रत्नपुर मार्ग, कोनी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495009
ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in, वेबसाइट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक ५६४ / अका. / 2024

बिलासपुर, दिनांक ३०/०७/२०२४

प्रति,

- 01/ समस्त विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग,
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)
- 02/ प्राचार्य,
समस्त संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ:- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर का पत्र क्र-427/101/आउशि/सम/2024 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 12.06.2024

-0-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराना है कि शैक्षणिक सत्र-2024-25 का शासन द्वारा प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जो विश्वविद्यालय के वेब साईट:- www.bilaspuruniversity.ac.in में भी अपलोड है, की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया संलग्न शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का कड़ाई से पालन करते हुये पालन प्रतिवेदन छ.ग. शासन के साथ विश्वविद्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक ३०/०७/२०२४

पृ. क्रमांक... ५.६.९.... / अका. / 2024

प्रतिलिपि :-

- 1/ कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय जी के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सी-३०, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर(छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
- 03/ परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय विभाग) को सूचनार्थ प्रेषित।



कुलसचिव

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक ५२८ / १०१ / आउशि / सम. / २०२४
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक १२/०६/२४

1. कुलसचिव
समस्त विश्वविद्यालय (छ.ग.)
2. प्राचार्य
समस्त महाविद्यालय (छ.ग.)

विषय :- छ.ग. राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी करने बाबत।

संदर्भ :- अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/ 38-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07.06.2024।

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छ.ग.राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किया गया है जो मूलतः संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2024-25 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक १२/०६/२४

पृ.क्रमांक ५२८ / १०१ / आउशि / सम. / २०२४

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, हुर्ग की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शारन
उच्च शिक्षा विभाग
उच्चालयः

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

Email-higher-education@cg.gov.in

क्रमांक /एफ 17-95 / 2017 / 38-2 प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 07/06/2024

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषयः— छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी करने वायत्।

संदर्भः— आपका प्रस्ताव / 357 / 101 / आउरि / सम. / 2024, दिनांक 02.05.2024.

.....00.....

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव के संबंध में कृपया उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार,


४८७/१८/२५
(ए.आर.खान)
अधर सचिव

६४०८० शारन, उच्च शिक्षा विभाग

०/८

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2024-25

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

छत्तीरागढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीरागढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक रिक्षांत

सन् 2024-25

प्रयुक्ति :-

1. ये मार्गदर्शक रिक्षांत छत्तीरागढ़ के रामी शासकीय/अशासकीय गहाविद्यालयों में छत्तीरागढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम घर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय रत्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाइन" कार्म जमा कराया जायेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने कार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाइन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका रिक्षांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाइन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा गहाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जगा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्ण संस्था के संघर्षित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर यिन अंकसूची के आवेदन पत्र जगा किये जा सकेंगे।

(स) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप किसी भी संशोधन/परिवर्तन के निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (सनातक प्रथम वर्ग में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शारान हारा संग्रह-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जायेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कलिका 5.1 (क) में उल्लिखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उसके पुनर्पुनियों को स्थान रिक्त होने पर ही सब के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी हारा कार्यभार श्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश सिवा था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

यिथि संकाय के अंतिरिक्त अन्य रांकायों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संवंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु यिथि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं रटाफ़ की उपलब्धता आदि के आधार पर रखी रखते हैं। संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों की प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र रांख्या में रीट की घृद्वि बाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा “उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।”

- 3.2 विधि रनातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं चंचलकर्त्ता पाठ्यक्रम की इएएलएल की कक्षाओं में बार कौसिल द्वारा निर्धारित गापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति संक्षण (न्यूनतम 2 संक्षण एवं अधिकतम 5 संक्षण) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।
- 3.3 सम्बद्ध पिश्यविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/प्रियंका समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने गहाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आदेकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चबनित विद्यार्थियों की अहंकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल याद रथानांतरण प्रमाण-पत्र पर “प्रवेश दिया गया” की गोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक सलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से गिराव कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल याद रथानांतरण प्रमाण-पत्र पर “प्रवेश दिया गया” की गोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् रथानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त ती सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 धोपिता प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने ती अविगतिति के बाद स्थान स्थिति होने पर रानी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय भव्य में अतिरिक्त रूप से दरसूला जायेगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

१. रथानांतरण प्रगाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुलीकॉर्ट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रथानांतरण प्रगाण-पत्र खो जाने की रिथिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश ग्राहक संरक्षा रो अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल रथानांतरण प्रगाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक एवं उल्लेख हो, प्राप्त होने की रिथिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से व्यवस्था लिया जाये।
२. महाविद्यालय के प्राचार्य रथानांतरण प्रगाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र रो संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिय/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में सलिल है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को रील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
३. 'राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् रनातक/रनातकोत्तर रत्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्ता निर्देशों का पालन किया जाए।'
४. प्रवेश की पात्रता :-
५. निवासी एवं अहकारी परीक्षा :-
- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत वैकों तथा भारत सरकार द्वारा रांचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुनर्पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के दिस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर आगे राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अहकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
 - (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता ग्राहक पिश्वविद्यालय/योर्ड से अहकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय रो पात्रता प्रगाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक यो प्रवेश प्रदान किया जाए।

स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :—

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु याणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा का प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अस्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विपक्ष से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रवार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (वायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कठगशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय रतर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :—

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कठगशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.—प्रथम सेमेस्टर एवं अहंकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.—सी/एम.ए.—प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अहंता के संबंध में संकाय की रिक्ति में संविधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अहंता ही बंधनकारी होंगे।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पक्षति की, पूर्व अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कठाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :—
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

विधि संकाय नियमित प्रवेश :—

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एग. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(म) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एग. प्रथम सेमेस्टर सर्वोत्तम उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.बी. हितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एग. हितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होय।

५.५ प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

(क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुरूपे जनजाति/अन्यसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्णाब्द में 55% अंक (अन्यसूचित जनजाति/अन्यसूचित जाति/ओ.वी.री हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

५.६ AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रदेश/संघालन पर संबंधित संरक्षा के प्रावधान प्राप्ति होंगे।

६. समकक्ष परीक्षा :-

६.१ सेन्ट्रल यॉर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.यी.एस.ई.), इंडियन कॉर्सिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरनीडिएट यॉर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य, मान्य यॉर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

६.२ सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समरत परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा गो समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरबर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, विश्व विद्यालय संघ से अनुमति प्राप्त नहीं है, वर्गी परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की गान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

६.३ सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची १० प्रिश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य-राज्य पर जारी कर्त्ता अथवा मान्यता विधीन विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि गान्य नहीं है, वर्गी जागकारी प्रावार्ग राज्य विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

६.४ वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए राज्यीयकूप्रूफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रक्कातक रक्का

पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की हुतना में रागतुल्य प्राधानिकता प्रदान की जाये।

पिशविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र प्रागांक १-६२/२०१३ (सीरीज़/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, २०१४ के अनुसार –

‘जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिरूचित राष्ट्रीय कौशल अहंता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अहंता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समरक गहत्यापूर्ण तथ्यों को नियमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह १ से १० रत्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध करता है जिनमें स्तर ५ से रत्तर १० तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं रत्तर १ से रत्तर ४ तक के प्रमाण पत्र रक्तुली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष २०१२ में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल छात्रों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/ रागत्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर ४ के प्रमाणित स्तर राहित १०+२ शिक्षा को वर्ष २०१४ तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशका जाताई है कि ऐसे छात्र जो पिशविद्यालय एवं महाविद्यालय में रनातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास ५-१० रत्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलानकारी रिथति में होंगे। अतः ऐसे आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा पिशविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी रनातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की हुतना में समतुल्य प्राधानिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सके।’

७. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- ७.१ स्नातक रत्तर तक वी.ए./वी.कॉर्ग./वी.एस.-री./वी.ए.एस.-री. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीरागढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/राजशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों वांगमाशः द्वितीय/पृतीय वर्ष में प्रवेश की प्रतीक्षा है किन्तु राष्ट्रीय विश्वविद्यालय/स्थानीय महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने प्रियली परीक्षा दी हो इराक़ा परीक्षण छर्ने के परायाएँ ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आपसमें हो तो विश्वविद्यालय से प्रवर्तता प्रमाण-पत्र अवश्य होया जाये।
- ७.२ छत्तीरागढ़ के बाहर रिथत विश्वविद्यालय/राजशासी महाविद्यालयों से रनातक रत्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्थानीय महाविद्यालयों से रनातकोत्तर पूर्वी परीक्षा

या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विभि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ—पत्र देना होगा जिसमें भी प्रयागर की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रवेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान दिया होने पर तथा महाविद्यालय के भूतार्पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राप्तार्थ द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान दिया होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम इल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्री�ेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कांडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं ने अस्थायी प्रवेश सक्त निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मात्र किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अहंताएँ :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में अगामी वर्ष/वर्ष में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं किया

हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहूं नहीं माना जायेगा, उसे मात्र गूल स्थानांतरण प्रमाण—पत्र तथा शपथ—पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही निमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विलम्ब न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/ चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/शैरिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र—छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।

9.4 प्रवेश हेतु आयु—सीमा :-

(प.) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पञ्च क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा रामी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को रामाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य रांगनों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध रूपानों से उधिक आवेदक होने पर प्रवेश निमानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु आंगनी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय हैं, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतीक्षत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में राष्ट्रव्यवस्था विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावणान हो तो विश्वविद्यालय हाल मिर्चारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।

(ii) प्रदेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता वज आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता वज आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व रात्र के नियमित/स्वाध्यार्थी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एव्हीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक रत्तर के विवर्णीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य रथानों/तहसीलों/जिलों के नियासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण—उत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में रीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक रांगड़ा में इसका विरतार निम्नतिनिधित रीति से होगा, अर्थात् :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से बल्लीस प्रतिशत सीटें अनुरूपित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से बारह प्रतिशत रीटें अनुरूपित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से चारह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त रीटों पर भी विपरीत कम में पात्र आवेदकों को प्रदेश दिया जायेगा। आरक्षित रीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंहिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी पर्सनल में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ राण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम लिखियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र पिछार्थियों से भरा जायेगा।

12.2 (1) विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उच्चाधिकरणीयकालीन रूप से अवधारित किया जायेगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व राजियों, खतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में दीतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन अधारित, उच्चाधिकरणीयकालीन रूप से अवधारित होगा।

12.3 खतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत रक्षान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के अवेदकों के लिए 5 प्रतिशत रक्षान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध रक्षानों में से 30 प्रतिशत रक्षान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई समीदार अधिक अंक याने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन क्लासीफीशन में नियमानुसार मैरिट रूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें गम्भीर अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा पिछार्थी किसी संघर्ग जैसे— खतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो रायर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी जानी जाएगी, शेष संघर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित रक्षान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित रक्षान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आगे पर आरक्षित रक्षान यी संख्या रक्षित होगी।

12.7 जामू-कराचीर निरामियों पृष्ठा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत तक सीट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों द्वारा पालन किया जाये।

12.9 कड़िका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय सचिव न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चाधिकरणीय द्वारा इस संबंध में प्रकरण फ़ारमांक उत्तरदायी(रो) 400/2012 नेशनल लीगल रायिसेस अधोरिटी विलस भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कड़िका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि— "We direct the Centre and the State Government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in

cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कानून रो पालन किया जाये।

प्रतीक्षा पत्र का अवर सचिव, छ.ग.शासन, रामान्त्र प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एक 13-1/2023/आ.प्रा. /1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरूप आरक्षण संबंधी प्राक्षण माननीय सचिवतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्र. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पावरता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताक्रौं के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समर्त प्रगाण-पत्र प्रयेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को रकाउट्स/गाइड्स/रैल्यार्स/रोबर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.री. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.री.सी "धी" सर्टिफिकेट या तृतीय रोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय रोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य रसरीय संघालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में युग्म का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(ङ)	नई दिल्ली के गणतंत्र विधाया घरेड में उत्तीर्णगढ़ को एन.सी.री./एन.एस.एस. कॉटिल्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल रकाउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति रकाउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	उत्तीर्णगढ़ का राज्यश्वेत एन.सी.सी. केलेट	10 प्रतिशत
(य)	छपूक ऑफ एंडिनर्गे अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केलेट	10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.री./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय उम्मीदवारी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत
13.2 आनंद विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उर्जी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विवज/खांफन प्रतियोगिताएँ :-	
(१) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-	
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय रथान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य वो	02 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त रथान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत
(२) उपर्युक्त कांडिका 13.3 (१) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय रथान अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा रांसदीय कार्य भवालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-	
(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय रथान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य वो	06 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त रथान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत
(३) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संरादीय कार्य भवालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-	
(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय रथान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय रथान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत
13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के गद्य यूथ अथवा राइन्स एवं कल्याल	
एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/	10 प्रतिशत
कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के रायस्तों को	

J.S.

13.5	छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में (क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रसिद्धित्व करने वाली टीम के सदस्य को	10 प्रतिशत
	(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय रथान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
13.5	जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थियों तथा उनके आश्रितों को	01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय रत्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथरिटी औफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रत्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की वर्गीय गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पावता है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संवालक, खेल एवं सुधक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्राप्ति किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यासेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु रकूल रत्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु निर्गत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/सुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में आईकारी परीक्षा के संकाय/विषय/सुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके पास्तांकों से 5 प्रतिशत पटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक चार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/सुप परिवर्तन नी अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 रिंगर तक या यिल्ड रो मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कलिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की ओरिगिन तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति सन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संवधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम रूची में ओरिगिन प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समक्ष या उससे अधिक हो।

१५ शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राप्तार्थी इस समयावधि को अधिकाराग न तर्फ कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करने, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश गान्धी किया जायेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदरथ गान्धी प्राच्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेपित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदरथ प्राच्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संरक्षा में अपना शोध कार्य बालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अंग्रेजित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रवंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अंग्रेजित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहमति करते हुए लागू होगा।

१६ विशेष :-

- १६.१ जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानकूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीकरण यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- १६.२ प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- १६.३ प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कठिका ९.२ एवं ९.३ में वर्णित अनुशासनीयता के प्रकरणों में तिन विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- १६.४ प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कारान किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संश्लिष्ट नियम के अंतर्गत अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- १६.५ प्रवेश के मार्गदर्शक शिक्षातों के रपटीयत्व या प्रवेश रोकनी किसी प्रकरण में गार्डर्सन वी, आयशयकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से रूपाट टीप व अभिगत द्वारा हुए रपटीयकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीरागढ़, रायपुर रो प्राप्त करेंगे, प्रवेश रोकनी किसी भी प्रकरण को केवल अंग्रेजित लिखकर प्रेपित न किया जाये।
- १६.६ इन मार्गदर्शक शिक्षातों में उल्लेखित प्रायधानों की व्याख्या द्वारा का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन गार्डर्सक शिक्षातों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीरागढ़ शारान, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जाएगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की विधि में सुपरवाइजर की अनुशासा पर प्राप्त है। इस समयावधि को अधिकारा ५ वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद ही नियमित प्रवेश गान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ गान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्रवात हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही येतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का येतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की विधि में शोध छात्र ऐसी संरक्षा में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अंतिम तिथि किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अंतिम तिथि करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असाधारणीकरण यदि किसी अवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुभावित या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपरिस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिको ९.२ एवं ९.३ में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कारान किये जाने की विधियों में विद्यार्थी को संक्षिप्त निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूपान्तरण या प्रवेश रांगें विकास की प्रक्रिया में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप ग अभिभाव देते हुए रूपान्तरण/मार्गदर्शन आयुष्ट, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वे प्राप्त करेंगे, प्रवेश संगठन किसी भी प्रकरण को केवल अंग्रेजी लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुष्ट, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शारान, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

(एआर. खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग